न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/276

मिसल नम्बर–120/2025

1.बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम गलाना, अरल्या जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.तहसीलदार महोदय, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.बलराम पुत्र श्री मोती लाल जाति धाकड़ निवासी भगवानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 29/5/26

उपस्थितिः–

1.श्री भुवनेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम गलाना का निवासी है जिसकी आराजी अरल्या जांगीर में पटवार हल्का अरल्या जांगीर में स्थित है। जिसका खसरा नं0 80 खाता संख्या नया 118 खाता संख्या पुराना 103 क्षेत्रफल रकबा 3.83 है0 है जिसमें प्रार्थी स्वयं का 1/6 व पत्नी भूली बाई का 5/6 हिस्सा निहित है। प्रतिपक्षी क्रम 2 का खेत प्रार्थी के खेत से लगा हुआ है तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 द्वारा प्रार्थी 20–25 फीट खेत को दबा रखा है इसलिये पत्थर गढ़ी सीमाज्ञान करवाया आवश्यक है ताकि प्रार्थी को उसकी व उसकी पत्नी की भूमि काश्त करने में कोई बाधा ना हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अरल्याजागीर पटवार हल्का अरल्याजागीर तहसील लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 80

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रकबा 3.83 हैक्टर भूमि की पत्थगढ़ी की जावे एवं पत्थरगढ़ी के दौराने निम्न बिन्दु अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे–

1. प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सभी पक्षकारों की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे।
2. यदि कोई भी कदीमी/प्रचलित या स्थायी रास्ता प्रचलन में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।
3. यदि कोई धोरा या जलनिकासी का मार्ग हस्तगत आराजी में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।
4. यदि मौके पर भूमि कम है तो पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो पत्थगढी की कार्यवाही नही करते हुये पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज दिंनाक: 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा